


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 437/2011.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- मैसर्स विपुल मोटर्स प्रा०लि०, जयपुर बनाम 1. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर 2. सीटीओ सर्किल बी, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय-इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.05.2017	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदन लाल मालवीय-सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक श्री रमेशचन्द्र गुप्ता का प्रार्थना पत्र प्राप्त, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक के प्रार्थना पत्र पर वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित न्यू एमेनेस्टी स्कीम, 2017 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस अपील को विद्वान करने का निवेदन किया है, जिस पर उप-राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 437/2011/जयपुर जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	